REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72	.4] नई	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16,	2019/अग्रहायण 25, 1941	
No. 72	[4] NEW DELHI	, MONDAY, DECEMBER	16, 2019/AGRAHAYANA 25, 1	.941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 931(अ).—केंद्रीय सरकार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में नियम, 19 में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु इस प्रयोजन के लिए बोर्ड, केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए नामों के पैनल / अभिहित अधिकारियों के पैनल से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा।

परंतु यह और भी कि प्रथम परन्तुक में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले की गई रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगी और ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर उसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करेगा मानो यह अधिसूचना ना जारी की गई हो।"

[फा.सं.एल-11012/02/2002-एलएंडएम]

विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 790 (अ) तारीख 2 दिसंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 717 (अ), तारीख 12 नववंर, 2007, सा.का.नि. 447 (अ), तारीख 14 जून, 2012, सा.का.नि. 798 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2016, सा.का.नि. 567 (अ) तारीख 12 जून, 2018 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2019

G.S.R. 931 (E).—In exercise of the powers conferred by section 124 of the Multi State Co-operative Societies Act 2002(39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002, namely :-

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment)

Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, in rule 19, following provisos shall be inserted, namely :-

" Provided that the Board shall appoint the returning officer from the panel of names/ panel of designated officers maintained by the Central Registrar for this purpose.

Provided also that, nothing contained in the first proviso shall affect the appointment of returning officer made prior to the date of publication of this notification and such returning officer shall complete the election process as if this notification has not been issued.".

[F.No.L-11012/02/2002 -L&M]

VIVEK AGGARWAL, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 790 (E), dated the 2nd December, 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R. 717 (E), dated the 12th November, 2007, G.S.R. 447(E), dated the 14th June, 2012, G.S.R.798(E) dated the 16th August, 2016. G.S.R.567(E) dated the 12th June, 2018.